

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क./03/अ-82/2019-20/6249

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन पुनर्वासान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम श्यारदा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 4.227 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित,होने की संभावना नहीं है ।


अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम श्यारदा प.ह.न 23 रा.नि. वृत्त 01 में उक्त परियोजना के लिये 4.227 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	स्वामित्व का प्रकार हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, जाति , हिस्सा (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	739	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.612	गीता देवी पत्नी अशोक कुमार जाति वैश्य पता निवासी ग्राम वीरपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.25
2	740	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.420	रामदास पुत्र तोफनिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
3	741/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.350	आफताब पुत्र निसार मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
4	758/मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.040	शब्बीर पुत्र निसार जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
5	763	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.159	रतनी बेवा छुट्टन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुट्टन कैलाशी पुत्र छुट्टन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/136 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र

कलेक्टर

जिला श्योपुर (व.प्र.)

				पुत्रगण द्वारिका मुसरुपी बेवा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सू जाति जाटव निवासी हि.52 /136 स.भा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स.भा. भूमि स्वामी
6	764/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	किशोरी पुत्र सुखुआ जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गू-राजरव 2.10
7	764/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251 रतनी बेवा छुट्टन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुट्टन कैलाशी पुत्र छुट्टन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/136 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मुसरुपी बेवा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सू जाति जाटव निवासी हि.52 /136 स.भा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स. भा. भूमि स्वामी बशरह नं. 763
8	765/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.032 रतनी बेवा छुट्टन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुट्टन कैलाशी पुत्र छुट्टन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/136 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मुसरुपी बेवा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सू जाति जाटव निवासी हि.52 /136 स.भा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स. भा. भूमि स्वामी बशरह नं. 763
9	765/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	किशोरी पुत्र सुखुआ जाति जाटव निवासी ग्राम भूमि स्वामी गू-राजरव 0.55
10	769/मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.449 रतनी बेवा छुट्टन कला बाबूली अजुद्धी रामपति प्रेम श्री बाई उम्मेदी पुत्रियां छुट्टन कैलाशी पुत्र छुट्टन जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 69/136 स.भा.भूमि स्वामी जगदीश सियाराम नेकराम पुत्रगण रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम हि.7/136 स.भा नरोत्तम मनोज विरेन्द्र पुत्रगण द्वारिका मुसरुपी बेवा द्वारिका जाति जाटव निवासी ग्राम हि. 3/136 स.भा. भूमि स्वामी उम्मेद रामलखन रुपसिंह बा.राजाराम नाबा. पुत्रगण जस्सू सर.मां खुद कलावती रुमाली महादेवी पुत्रीयां जस्सू कलावती बेवा जस्सू जाति जाटव निवासी हि.52 /136 स.भा. भूमि स्वामी तोफनिया पुत्र झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम हि. 5/136 स. भा. भूमि स्वामी बशरह नं. 763
11	769/मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	पंचम सिंह पुत्र सारगासिंह बादामी पत्नि पंचमसिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	792/मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	रामजीलाल पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13	792/मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.147 बनवारी पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14	792/मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	रामदास पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी


 क. क. कुलकर्णी
 (स. प्र.)
 गयोपुर

15	792/ मि 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि		रामचरण पुत्र बालाराम जाति कोरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	794	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.347	सुनीता पत्नि सुनील जाति वैश्य पता निवासी सबलगढ हि. 26/78 स.भाग भूमि स्वामी दीपक पुत्र पीतम सिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ हि. 52/310 भूमि स्वामी रामदेही पत्नि पीतमसिंह दीपक पुत्र पीतम सिंह लीलाबाई पत्नि लालाराम जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुनहरा तहसील सबलगढ 208/390 भूमि स्वामी भू राजस्व 4.42
17	829/ मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.420	बद्रीप्रसाद पुत्र भगवती जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
		योग		4.227	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थान: श्योपुर

तारीख-08.08.2019




Lj
(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पू.क. / १२ / अ-82 / भू-अर्जन / 2019-20, १२/२०१९
प्रतिलिपि-

शयोपुर दिनांक 08.08.2019

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला शयोपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला शयोपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. शयोपुर की ओर कलेक्टर जिला शयोपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु ।


कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला शयोपुर (म.प्र.)